

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 156/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

दरीयाखान बनाम कसुम्बी वगैरा

पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री हुकमसिंह गोदारा

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय

दिनांक - 01.06.17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प ईटादा मे पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा अधरीम का तला, पटवार हल्का रबासर, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 9 रकबा 47.05 बीघा, खसरा सं. 54 रकबा 87.03 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा अधरीम का तला, पटवार हल्का रबासर, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 9 रकबा 47.05 बीघा, खसरा सं. 54 रकबा 87.03 बीघा भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला को 500/- रूपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काफ्त मे परिवर्तन किन्हे निजा, गुरतापरील/रपाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसील जारी हो। कमीशनर को कमीशनर थारा प्रार्थीगण गोके पर अदा करेगा।

पत्रावली फंसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ईटादा मे दिनांक 01.06.17 सुनाया गया।

(भागीरथराम)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2017/

दिनांक:-

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक
बुरहान का तला

प्रार्थी :-

1. दरीयाखान पुत्र हाजी अदरीम
जाति मुसलमान, निवासी अधरीम का तला
तहसील सेड़वा, जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण

1. कसुम्बी पत्नि आईदानराम जाति सुथार
निवासी बावड़ीकला, तहसील चौहटन
2. मरुबत पत्नि हाजी अलादीन जाति मुसलमान,
नि.गागरिया, तह.रामसर
3. अरबूब 4. मुराद 5. अमीन पि. मोहम्मद
6. मुस्ताक अली पुत्र बचाया जाति मुसलमान
नि.अधरीम का तला, तहसील सेड़वा
7. गेनसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत
नि.खारिया राठौड़ान 8. धोधा पुत्र पन्नू जाति
मेघवाल 9. गुलाम अली 10. चिनेसर पि. बसाया
11. मुबीन 12. सेरादीन पि. रावल 13. फैंजू पुत्र माघा
14. खादम पुत्र पठाई 15. शेरा पुत्र मका जाति
मेघवाल, निवासी गौहड़ का तला
तहसील सेड़वा, जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन सं. 156/2017

दिनांक : 01.06.2017

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा अधरीम का तला, पटवार हल्का रबासर, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 9 रकबा 47.05 बीघा, खसरा सं. 54 रकबा 87.03 बीघा सरहद भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीश्नर फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरीये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्य पेश करे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।

(भागीरथराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2017/ 1104+0 1110
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 8/6/17

- 1 तहसीलदार सेड़वा
- 2 पटवार हल्का रबासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थी दरीयाखान
- 4 विप्रार्थीगण कसुम्बी वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(भागीरथराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
चौहटन